न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/16/2023	2023/400	26–07–2023	31–07–2024

1. जगराम पुत्र श्री रामलाल जाति गुर्जर।
2. बच्चू पुत्र तोताराम जाति गुर्जर।
3. तेज सिंह पुत्र श्री तोताराम जाति गुर्जर, निवासीयान ग्राम मौजदीका, तह0 व जिला अलवर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भू आवंटन सलाहकार समिति अलवर जर्ये उपखण्ड अधिकारी, अलवर जिला अलवर राज०।
2. दयाराम पुत्र श्री खड्डी जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौजदीका, तह0 व जिला अलवर।

– अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–09–1975

उपस्थितः–
01–श्री कमलसिंह पोसवाल

– वकील प्रार्थीगण

–निर्णयः–

वकील प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) उपखण्ड अधिकारी अलवर भूमि आवंटन आदेश दिनांक 02.09.1975 जिसके द्वारा ग्राम मौजदीका तह0 अलवर की आराजी गत आराजी खसरा न0 267 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा हाल आराजी खसरा न0 493 रकबा 0.24 है0, 494 रकबा 0.24 है0, 496 रकबा 0.13 है0, 600 रकबा 0.24 है0 भूमि का आंवटन गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 02 के नाम किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 267 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा हाल आराजी खसरा न0 493 रकबा 0.24 है0, 494 रकबा 0.24 है0, 496 रकबा 0.13 है0, 600 रकबा 0.24 है0 बने हैं जो ग्राम मौजदीका तह0 व जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी पर प्रार्थी का कदीमी से अपने बुजुर्गों के समय से सैंकड़ों सालों से कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। जब तक प्रार्थी के बुजुर्ग जीवित रहे, तब तक वो काबिज रहकर काश्त करते रहे और उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आज भी विवादित आराजी खसरा नंबर 493, 494 व 600 में प्रार्थीगण की बोई हुई फसल सरसों मौके पर खड़ी हुई है तथा हाल खसरा नंबर 496 रकबा 13 ऐयर में सरकाड़ी सड़क बन गई है जो मौके पर जारी है। अप्रार्थी संख्या 2 दयाराम पुत्र खड्डी जाति गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति गांव में ही नहीं है, न कभी रहा है, तो उसके द्वारा विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 भूआवंटन सलाहाकार समिति का आलोच्य आदेश निरस्त होने योग्य है। माह सितम्बर 2021 में पटवारी हल्का से प्रार्थीगण मिले और निवेदन किया कि विवादित आराजी हमारे बुजुर्गों के समय से ही प्रार्थीण के कब्जे में चली आ रही है, जिसे हमें राजस्व कैम्प प्रशासन गांवों के संग में आवंटन कराना है इसलिए कैम्प की तारीख बताएं, इस पर पटवारी हल्का ने राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी वगैरह देखकर बताया कि यह आराजी दयाराम पुत्र खड्डी गुर्जर के नाम दिनांक 02.09.1975 को आवंटन हुई थी और उसका नाम ही राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार अलवर के कार्यालय से उक्त आवंटन के बारे में जानकारी करवाई तो आवंटन की फाईल कार्यालय में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

नहीं मिली, इसके बाद श्रीमान जिला कलक्टर के यहां प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जहां से दिनांक 31.12.2021 को नकल प्राप्त हुई तथा नकल प्राप्त होने पर प्रार्थीगण ने अपने वकील से संपर्क किया, वकील ने प्रार्थना पत्र तैयार करवाया जो आज बिना देरी के अदालत श्रीमान के समक्ष पेश है। विवादित आराजी का आवंटन अप्रार्थी सं0 2 दयाराम गुर्जर के नाम आवंटन कार्यवाही में अंकित किया गया है, जबकि दयाराम गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मौजदीका में नहीं था ना है, तो फिर भू–आवंटन सलाहाकार समिति के द्वारा आवंटन स्पष्टतया फर्जी आवंटन की संज्ञा में आता है जो कि विधि विरुद्ध व नियम विरूद्ध है। कथित आवंटन के बाद राजस्व रिकॉर्ड में जो नाम का अंकन पटवारी हल्का द्वारा किया गया है, वह दयाराम पुत्र खड्डी गुर्जर के नाम से किया गया है। खड्डी नाम का व्यक्ति भी गांव मौजदीका में नहीं था और ना है। जब उक्त दयाराम नाम का आवंटी/व्यक्ति गांव में ही नहीं रहता था और ना है तो आवंटन कमेटी ने किस तरह से दयाराम के नाम का आवंटन, आवंटन कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया है, ये समस्त कार्यवाही स्पष्ट रूप से फर्जी बनावटी, अनियमित होने के कारण तथा मौका कब्जा के खिलाफ होने के कारण आलोच्य आवंटन निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त आराजी हाल खसरा नंबर 493, 494, 496, 600 वाके ग्राम मौजदीका तहसील व जिला अलवर पर आवंटी दयाराम पुत्र खड्डी अप्रार्थी सं0 2 नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं रहा, ना आज है। ऐसी स्थिति में आवंटन के बाद उसका कब्जा या दखल दिया जाना संभव ही नहीं था। ऐसी स्थिति में आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी द्वारा आवंटित आराजी को काश्त नहीं की गई है, जिस अवस्था में भू आवंटन सलाहाकार समिति का आलोच्य आदेश निरस्त होने योग्य है। आज्ञा भू–आवंटन सलाहाकार समिति दिनांक 02.09.1975 विधिक, न्यायिक प्रक्रिया के एवं विधि एवं तथ्यों तथा मौका व कब्जा के भी खिलाफ होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में गौचर (चारागाह) दर्ज है। ऐसी स्थिति में आराजी धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत काबिल आवंटन नहीं है। यानी ऐसी भूमि कार्य काश्त के लिए आवंटन योग्य नहीं थी और आवंटन नहीं की जा सकती थी। आवंटन कमेटी ने उक्त आराजी का आवंटन करने से पूर्व सर्वसाधारण की सूचनार्थ कोई नोटिस जारी नहीं किया, ना ही मौके पर जाकर आराजी की वस्तुस्थिति के बारे में कोई जानकारी ली, अपितु मनमाने व फर्जी तथा कूटरचित तरीके से नियम विरूद्ध आवंटन की आज्ञा पारित की गई है तथा आवंटन के समय आराजी मुतनाजा खाली नहीं थी और कानूनन ऐसी आराजी का आवंटन नहीं किया जा सकता था। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970) नियम 14(3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को और बाकी भाग को दूसरे साल में काश्त करना आवश्यक होता है, जिस शर्त का आवंटी द्वारा पालन करना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह आवंटन निरस्त होने योग्य होता है। यहां तो आवंटी दयाराम पुत्र खड्डी गुर्जर नाम का कोई व्यक्ति गांव में था ही नहीं तो फिर उसके द्वारा उक्त शर्तों का पालन किया जाना संभव नहीं हो सकता है। आवंटन अधिकारी ने सन् 1970 के आवंटन नियम 8, 9, 10, 11 की पालना नहीं की है, जो कि आवश्यक होता है। आवंटन कमेटी ने कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 05 की भी पालना नहीं की है, जिसके अंतर्गत तहसीलदार प्रत्येक साल 30 सितम्बर तक अनाधिकृत सरकारी भूमि में सिंचित व असिंचित दोनों सूची प्रपत्र में तैयार करेगा और एसडीओ को प्रस्तुत करेगा, जो पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी, ऐसा आवंटन कमेटी द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण भी आवंटन कमेटी की आज्ञा विधि विरूद्ध है और निरस्त किए जाने योग्य है। आवंटन कमेटी ने 1970 के नियम 7 के अनुसार आवंटन के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए उद्घोषणा जारी नहीं की। आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन नियम 1970 के नियम 7 (2) की पालना भी नहीं की है। उद्घोषणा के 2 सत्पाह की कालावधि या जनहित में जब भी किसी विशेष क्षेत्र के लिए जारी की जायेगी जो खसरा नंबरान का आवंटन किया जाना है, उसका उपखण्ड अधिकारी के सूचना पट्ट पर लगाया जावेगा तथा किसी लोक समागम के स्थान पर भी उद्घोषणा चिपकाने की तारीख से गणना की जावेगी, किन्तु इसकी पालना आवंटन कमेटी द्वारा नहीं की गई है। विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा बुजुर्गों के समय से कदीमी से वर्षों से चला आ रहा है। वक्त आवंटन दिनांक 02.09.1975 को प्रार्थी का कब्जा काश्त था। आवंटन सलाहकार समिति को प्रार्थीगण का पुराना कब्जा मानते हुए प्रार्थीगण, जो भूमिहीन हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के होने के प्रार्थीगण के हक में आवंटन/विनियमन करना चाहिए था, लेकिन आवंटन सलाहकार समिति ने गौर नहीं किया जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है। उक्त आधार पर आवंटन आज्ञा दिनांक 02.09.1975 निरस्त होने तथा प्रार्थीगण के हक में आवंटन/विनियम किए जाने योग्य है। प्रार्थना–पत्र हाजा अदालत श्रीमान के श्रवण योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राज.)

है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य आदेश भू–आवंटन सलाहकार समिति, अलवर जर्ये उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 02.09.1975 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को आराजी साबिक खसरा नंबर 267 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नंबर 493 रकबा 0.24 है0, 494 रकबा 0.24 है0, 496 रकबा 0.13 है0, 600 रकबा 0.24 है0 बने हैं, वाके ग्राम मौजदीका तह0 व जिला अलवर का आवंटन किया गया है, वह आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे व प्रार्थीगण के हक में आराजी खसरा नंबर 493 रकबा 0.24 है0, 494 रकबा 0.24 है0 व 600 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम मौजदीका तह0 व जिला अलवर को प्रार्थीगण का कदीमी कब्जा होने के कारण प्रार्थीगण को विनियम/आवंटन किए जाने की आज्ञा फमरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा मुख्य कथन किया है कि विवादित आवंटित आराजी अप्रार्थी संख्या 02 दयाराम पुत्र खड्डी नाम के व्यक्ति को आवंटित की गई है, जबकि दयाराम पुत्र खड्डी नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मौजदीका तह0 व जिला अलवर में है ही नहीं। अप्रार्थी संख्या 02 दयाराम पुत्र खड्डी का कभी कोई कब्जा नहीं होने तथा मौका जॉच किये बिना अप्रार्थी संख्या 02 दयाराम पुत्र खड्डी को उक्त आराजी आवंटित कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भू0–विनियमन पंजीका का अवलोकन किया गया जिसमे ऐसा कोई दस्तावेज नहीं पाया गया जिससे यह दर्शित होता हो कि आवंटन कमेटी द्वारा उक्त विवादित आराजी आवंटित करने से पूर्व सर्वसाधारण को सूचनार्थ कोई नोटिस जारी किया हो या मौका रिपोर्ट मंगवाई गई हो। अप्रार्थी संख्या 02 दयाराम पुत्र खड्डी को मौके पर दखल देने का कोई प्रमाण तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर उद्घोषणा जारी कर चस्पा करने का प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं पाया गया। प्रार्थीगण बुजुर्गों के समय से उक्त आराजी पर काबिज रहकर मौके पर फसल काश्त करते आ रहे हैं, जिससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका जॉच के, बिना उद्घोषणा के अप्रार्थी सं0 2 को उक्त विवादित आराजी आवंटित की गई है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 02.09.1975 निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 02.09.1975, जो अप्रार्थी सं0 2 को आवंटन किया गया है, को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)